दिनांक 06.05.2022 को सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. श्री बी0के0 सन्त, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
2. श्री एस0एल0 पैट्रिक, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
3. श्री राजपाल लेघा, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
4. श्री सुनील पंवार, संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
5. श्री अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
6. श्री दिनेश यादव, अनुसचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री दीपक जोशी, अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री दिनेश कुमार, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, जनपद पौड़ी।
9. श्री जी0डी0 प्रसाद, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, मुख्यालय, देहरादून।
10. श्री दीपक हटवाल, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, जनपद रूद्रप्रयाग/चमोली।
11. डॉ0 डी0एस0 चन्द, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, जनपद टिहरी/उत्तरकाशी।
12. श्री लेखराज, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, जनपद अल्मोड़ा/बागेश्वर।
13. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, जनपद देहरादून।
14. श्री अमित गौरव, सहायक भूवैज्ञानिक, जनपद उधमसिंहनगर।
15. श्री प्रदीप कुमार, सहायक भूवैज्ञानिक, जनपद पिथौरागढ़/चंपावत।
16. श्री रवि नेगी, सहायक भूवैज्ञानिक, जनपद हरिद्वार।

बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में खनन विभाग की राजस्व प्राप्ति में अभिवृद्धि, अवैध खनन व भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम तथा इससे सम्बन्धित जुर्मानों की वसूली, लम्बित महत्वपूर्ण प्रकरणों के त्वरित निदान तथा विभाग से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की सचिव, खनन विभाग द्वारा विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में विभागीय प्रस्तुतिकरण की समीक्षा के उपरान्त सचिव, खनन विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिये गये–

1. वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रू0 1,000.00 करोड़ (रू0 एक हजार करोड़) निर्धारित किया गया।
2. राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊ मण्डल विकास निगम, वन विकास निगम, निजी नाप भूमि तथा अन्य प्रकार के असंचालित सभी खनन लॉटों को संचालित करने हेतु प्रत्येक लॉट का पृथक–पृथक विवरण 01 सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाय।
3. निगमों को आवंटित राजस्व खनन लॉटों के संचालन में सम्बन्धित निगमों द्वारा अरूचि रखे जाने तथा असंचालित लॉटों को समर्पित किये जाने की स्थिति सम्बन्धित निगमों से ज्ञात कर ऐसे लॉटों का तत्काल समर्पण कराया जाय तथा विभाग के स्तर से उनके संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाय।
4. निगमों एवं निजी पट्टाधारकों को आवंटित खनन लॉटों के असंचालित रहने की स्थिति में सम्बन्धित लॉटों में होने वाले अवैध खनन हेतु सम्बन्धित निगम एवं निजी पट्टाधारक उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा ऐसे सभी असंचालित लॉटों की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के दिनांक 31.03.2022 तक अधिरोपित जुर्माने के ऐसे प्रकरण, जिनमें मा0 उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी सक्षम न्यायालय आदि से कोई स्थगन आदि प्राप्त हो, को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जुर्माने की एकमुश्त वसूली तत्काल सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला खान अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिये निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त मा0 न्यायालय के स्थगनादेश को खारिज कराये जाने के सम्बन्ध में भी साथ–साथ प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। राजस्व प्राप्ति से सम्बन्धित उपरोक्त कार्यवाही की माहवार समीक्षा भी की जायेगी।
6. अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण में अधिरोपित जुर्माने के बड़े मामलों, जिनमें एकमुश्त वसूली व्यवहारिक रूप से सम्भव न हो, में अपरिहार्य स्थिति के अन्तर्गत जुर्माने की धनराशि को 50–50 प्रतिशत के रूप में वसूले जाने की कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु जिला खान अधिकारी को निर्देशित किया गया।
7. अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण तथा सभी खनन संक्रियाओं की कार्यवाही में सुसंगत अधिनियमों, नियमों व नीति के अनुरूप वैधानिक रूप से कार्य किया जाय। अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण तथा खनन संक्रियाओं से सम्बन्धित किसी भी जांच/मामले में सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के जिला खान अधिकारी

के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

8. निगमों को आवंटित राजस्व खनन लॉटों के संचालन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली एवं सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निविदा प्रपत्रों का निर्धारण निगमों द्वारा स्वयं किया जाय, इसमें शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
9. गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 को खनन सत्र 2020–25 हेतु आवंटित सभी राजस्व खनन लॉटों के सापेक्ष अब तक प्राप्त राजस्व लाभ/हानि का पूर्ण विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को निर्देशित किया गया।
10. ई–निविदा नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत किया जाय।
11. जनपद बागेश्वर की सभी असंचालित/बन्द माईन्स को संचालित किये जाने हेतु सभी सम्बन्धित पट्टाधारकों/स्वामियों को जिला खान अधिकारी बागेश्वर द्वारा नोटिस देते हुये इनका संचालन तत्काल प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाय तथा इस सम्बन्ध में ऐसे सभी मामलों का पूर्ण विवरण एवं प्रगति आख्या 01 सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध करायी जाय।
12. जनपद उत्तरकाशी में कार्यदायी सस्थाओं द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों पर ऑडिट सम्प्रेक्षा दल द्वारा लगायी गयी आपत्ति के अनुपालन में आरोपित की गयी जुर्माने की राशि के सम्बन्ध में विभागीय आख्या तत्काल शासन के निर्णय हेतु उपलब्ध करायी जाय।
13. ड्रोन सर्वे, सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस, आर0एफ0आई0डी0 टैग, इलेक्ट्रॉनिक वेबब्रिज, जी0पी0एस0 आदि की उपलब्धतता हेतु निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (आई0टी0डी0ए0) से वार्ता कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को निर्देशित किया गया।
14. समतलीकरण, रिसाइक्लिंग टैंक, मतस्य पालन, तालाब निर्माण से सम्बन्धित सभी स्वीकृत अनुज्ञाओं का जिला खान अधिकारियों के स्तर से एक सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन की आख्या फोटो सहित ई–मेल के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
15. टिहरी बांध जलाशय से सम्बन्धित उपखनिज की निकासी हेतु औचित्यपूर्ण नीति/संशोधन का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय।
16. रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में वर्ष 2020 में विज्ञापित ऐसे लॉट, जिनका संचालन मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित स्थगनादेश दि0 05.01.2021 के कारण अब तक नहीं हो पाया है तथा इनमें से कई लॉटों के सापेक्ष जमा धनराशि सफल बोलीदाताओं द्वारा किये गये अनुरोध पर वापस की जा चुकी है, को पुनः रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 के अन्तर्गत विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में विधिक परामर्श प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या– 596/VII-A-1/2022/8(05) 2019
देहरादून, दिनांक: 12 मई, 2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त प्रतिभागी अधिकारीगण।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनुसचिव